



Neutral Citation No. - 2026:AHC:9537

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 270 सन् 2026

शेष दत्त मिश्रा .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य .....प्रत्यर्थीगण

---

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार श्रीवास्तव, हर्षित श्रीवास्तव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

---

और

रिट ए संख्या 273 सन् 2026 (संबद्ध सी1)

हीरा सिंह .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य .....प्रत्यर्थीगण

---

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार श्रीवास्तव, हर्षित श्रीवास्तव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

---

और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रिट ए संख्या 301 सन् 2026 (कनेक्ट सी-2)

हीरा सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

---

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार श्रीवास्तव, हर्षित श्रीवास्तव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

---

और

रिट ए संख्या 304 सन् 2026 (कनेक्ट सी-3)

हीरा सिंह

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

---

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अनिल कुमार श्रीवास्तव, हर्षित श्रीवास्तव

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

---

**न्यायालय संख्या - 33**

**माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार**

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. हमने मुख्य, संबंधित सी1, संबंधित सी2 और संबंधित सी3 रिट याचिकाओं के याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता श्री हर्षित श्रीवास्तव और राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला और बृजेश कुमार श्रीवास्तव की दलीलें सुनीं।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री अवधेश कुमार शुक्ला ने यह कथन किया गया है कि उन्हें निर्देशों की पूरी जानकारी है और वे प्रकरण की पैरवी करने स्थिति में हैं। वे कोई प्रतिशपथपत्र दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं और आगे निवेदन करते हैं कि रिट याचिका का निर्णय अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. पक्षकारों की सहमति से, रिट याचिका पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।
4. मुख्य रिट याचिका के तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता सिद्धार्थ नगर जिले के मिथवाल ब्लॉक में तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी हैं। याचिकाकर्ता के अनुसार, जैसा कि प्रस्तर-5 में दर्शाया गया है, एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर, वर्ष 2018-19 में हुई अनियमितताओं के संबंध में याचिकाकर्ता को 29.11.2025 को एक नोटिस जारी किया गया था। छह वर्ष की अवधि के बाद, सिद्धार्थ नगर के जिला विकास अधिकारी द्वारा 05.12.2025 को याचिकाकर्ता से 10,00,525 रुपये की वसूली का आदेश पारित किया गया।
5. संबंधित सी1 याचिका के संबंध में, याचिकाकर्ता ग्राम विकास अधिकारी हैं जो ब्लॉक मिथवाल, जिला सिद्धार्थ नगर में तैनात हैं और वर्ष 2017-18 से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर 29.11.2025 को एक नोटिस जारी किया गया था और आक्षेपित आदेश 05.12.2025 को पारित किया गया था जिसमें 52,673/- रुपये की राशि की वसूली की मांग की गई थी।
6. संबंधित सी2 याचिका के संबंध में, यहां भी याचिकाकर्ता उसी ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी है और वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत लेखापरीक्षा रिपोर्ट के संबंध में एक नोटिस जारी किया गया था, याचिकाकर्ता ने 29.11.2025 को अपना जवाब दिया और 8,41,77/- रुपये की राशि की वसूली के लिए 05.12.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया।
7. अंत में, संबंधित सी3 याचिका के संबंध में, याचिकाकर्ता उसी ब्लॉक में तैनात ग्राम विकास अधिकारी हैं। वर्ष 2017-18 में एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने 29.11.2025 को अपना जवाब दिया और दिनांक अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5.12.2025 को आक्षेपित आदेश पारित किया गया, जिसमें 058560/- रुपये की वसूली की मांग की गई।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि आक्षेपित आदेश वैध नहीं ठहराए जा सकते, क्योंकि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हैं और साथ ही वसूली भी समय सीमा से बाहर हो चुकी है। इसके अलावा, उन्होंने यह भी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के तहत विभागीय जांच नहीं की गई है।

9. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का तर्क है कि आदेश नोटिस में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, विशेषकर तब जब याचिकाकर्तागण ने अनियमितता की हो, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को हानि हुई हो। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख नहीं है कि याचिकाकर्तागण को कारण बताओ नोटिस कब भेजा गया था और उनके जवाब पर कब विचार किया गया था।

10. मैंने बार के समक्ष प्रस्तुत की गई दलीलें सुनी हैं और अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है।

11. स्पष्टतः, वर्ष 2017-18 और 2018-19 से संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट के आधार पर नोटिस जारी किए गए हैं, और अब वसूली के लिए आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी करने का कोई उल्लेख नहीं है, याचिकाकर्ता के जवाब पर विचार करने की तो बात ही छोड़ दें। जब दीवानी परिणामों से संबंधित आदेश पारित किए जा रहे हों, तो कारण बताओ नोटिस जारी करते समय और प्रभावित पक्षों द्वारा उसके जवाब में दिए गए निवेदनों पर विचार करते समय कानून के अनुसार होना चाहिए। उक्त प्रक्रिया का अभाव है। तदनुसार, रिट याचिका का निर्णय निम्नलिखित शर्तों पर किया जा रहा है: -

(ए) सिद्धार्थ नगर के जिला विकास अधिकारी, प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा दिनांक 05.12.2025 को पारित आदेश को संबंधित सी-1, सी-2 और सी-3 रिट याचिकाओं में अपास्त किया जाता है।

(बी) प्रकरण को पुनः आदेश पारित करने हेतु संबंधित प्राधिकरण को वापस भेज दिया गया है।



12. इस स्तर पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि नोटिस फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह तक जारी कर दिए जाएंगे। याचिकाकर्ता अपना उत्तर प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद तीन माह की अवधि के भीतर आदेश पारित किया जाएगा।

13. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, सभी रिट याचिकाएँ निस्तारित की जाती हैं।

14 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)